

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

आजमगढ़, उन्नाव, कन्नौज, कानपुर देहात, कुशीनगर, खीरी, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, चंदौली, चित्रकूट, झांसी, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, बरेली, बलरामपुर, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, मऊ, मथुरा, महाराजगंज, महोबा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मेरठ, रामपुर, ललितपुर, वाराणसी, श्रावस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, हमीरपुर, हरदोई एवं शाहजहांपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक: 17 नवम्बर, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों से प्राप्त सूचना/विवरण के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने के हेतु राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर दिनांक 16.11.2021 तक फीड किये गये 11,93,115 प्रभावित कृषकों के सापेक्ष जनपदों द्वारा कुल ₹0 4,15,58,23,870/- (रु० चार अरब पन्द्रह करोड़ अठ्ठावन लाख तेइस हजार आठ सौ सत्तर मात्र) की मांग की गयी है, जिसके सापेक्ष डाटा सत्यापित कर फीड किये गये 55 जनपदों के कुल 11,24,252 कृषकों को निम्न छः शासनादेशों संख्या-1724/एक-10-2021-33(11)/2021, दिनांक 21.10.2021, शासनादेश संख्या-1754/एक-10-2021-33(11)/2021, दिनांक 23.10.2021, शासनादेश संख्या-1766/एक-10-2021-33(11)/2021, दिनांक 26.10.2021, शासनादेश संख्या-1779/एक-10-2021-33(11)/2021, दिनांक 29.10.2021, शासनादेश संख्या-1790/एक-10-2021-33(11)/2021, दिनांक 03.11.2021 यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 08.11.2021 तथा शासनादेश संख्या-1798/एक-10-2021-33 (11)/2021, दिनांक 11.11.2021 यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 12.11.2021 द्वारा कुल ₹0 3,84,73,38,292 (रु० तीन अरब चौरासी करोड़ तिहत्तर लाख अड़तिस हजार दो सौ बानबे मात्र) की धनराशि आवंटित की गयी है।

2- अतः उक्त वर्णित स्थिति में अवशेष 68,863 कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने हेतु बाढ़ मद में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रु० 30,71,65,685/- (रु० तीस करोड़ इकहत्तर लाख पैंसठ हजार छः सौ पचासी मात्र) की धनराशि कालम-2 में अंकित जनपदों के जिलाधिकारी को कालम-4 में अंकित धनराशि के अनुसार अग्रिम रूप से निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	जनपद	नये कृषकों की संख्या	स्वीकृत धनराशि (रु० में)
1	2	3	4
1	आजमगढ़	4	23059
2	उन्नाव	336	2578265
3	कन्नौज	3144	9621944
4	कानपुर देहात	55	263957
5	कुशी नगर	220	722131
6	खीरी	4918	32538861
7	गाजीपुर	2030	7944447
8	गोंडा	435	1587585
9	गोरखपुर	2308	9927283
10	चंदौली	542	1598682

11	चित्रकूट	457	936019
12	झांसी	10424	12294156
13	फतेहपुर	443	1969062
14	फर्रुखाबाद	294	954463
15	बरेली	10894	35197276
16	बलरामपुर	159	3190583
17	बस्ती	136	2677302
18	बहराइच	785	9653057
19	बाराबंकी	1588	13446122
20	मऊ	38	99697
21	मथुरा	52	592620
22	महाराजगंज	1966	362820
23	महोबा	7457	21576487
24	मिर्जापुर	2716	8542206
25	मुजफ्फर नगर	30	88970
26	मुरादाबाद	3396	10761024
27	मेरठ	13	140214
28	रामपुर	4044	20419274
29	ललितपुर	2920	63326664
30	वाराणसी	451	2297319
31	श्रावस्ती	1561	7781220
32	संत कबीर नगर	4	10893
33	सिद्धार्थ नगर	759	4291282
34	सीतापुर	3477	15188681
35	हमीरपुर	21	54721
36	हरदोई	730	4304762
37	शाहजहांपुर	56	202577
कुल योग		68,863	30,71,65,685
(रु० तीस करोड़ इकहत्तर लाख पैसठ हजार छः सौ पचासी)			

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (3) राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं०-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक: 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांक: 01.04.2015 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पद पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3 - उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि **रु० 30,71,65,685/-** (रु० तीस करोड़ इकहत्तर लाख पैसठ हजार छः सौ पचासी मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-02-बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

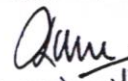
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 1818(1)/एक-10-2021-33(11)/2021, तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग उ०प्र० शासन।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(राम केवल) 17.11.21
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-17/11/2021

प्रेषण संख्या:- 1818
आवंटन आदेश संख्या:- 137-2021-2022
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मुजफ्फर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	88970 840765	88970 840765
2	मेरठ-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	140214 3181871	140214 3181871
3	मथुरा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	592620 2058964	592620 2058964
4	बरेली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	35197276 140777600	35197276 140777600
5	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	10761024 75391954	10761024 75391954
6	शाहजहांपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	202577 11202577	202577 11202577
7	रामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	20419274 90821732	20419274 90821732
8	फर्रुखाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	954463 30053979	954463 30053979
9	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1969062 4475218	1969062 4475218
10	झाँसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	12294156 415292535	12294156 415292535
11	हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	54721 38991194	54721 38991194
12	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2297319 85825607	2297319 85825607
13	मिर्जापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	8542206 96583051	8542206 96583051
14	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	7944447 135797154	7944447 135797154
15	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	9927283 477537193	9927283 477537193
16	बस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2677302 94118764	2677302 94118764
17	आजमगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	23059 60924132	23059 60924132
18	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2578265 20872149	2578265 20872149

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
19	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	15188681 157215493	15188681 157215493
20	हरदोई-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	4304762 35480138	4304762 35480138
21	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	32538861 372926767	32538861 372926767
22	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1587585 77494733	1587585 77494733
23	बहराइच-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	9653057 296428783	9653057 296428783
24	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	13446122 119186435	13446122 119186435
25	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	63326664 816365656	63326664 816365656
26	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	263957 42881289	263957 42881289
27	मऊ-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	99697 156040109	99697 156040109
28	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	4291282 381777764	4291282 381777764
29	महाराजगंज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	362820 172356411	362820 172356411
30	महोबा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	21576487 81242429	21576487 81242429
31	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	722131 124686730	722131 124686730
32	चन्दौली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1598682 37386040	1598682 37386040
33	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3190583 111178793	3190583 111178793
34	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	10893 112666358	10893 112666358
35	कन्नौज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	9621944 26792251	9621944 26792251
36	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	7781220 57691391	7781220 57691391
37	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	936019 15129907	936019 15129907
	योग	वर्तमान प्रगामी	307165685 4979673916	307165685 4979673916

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीस करोड़ इकत्तर लाख पैंसठ हजार छः सौ पंचासी

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार अरब सत्तानवे करोड़ छियानवे लाख तिहत्तर हजार नौ सौ सोलह

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।